

सरकार लोगों को कर रही गुमराह

» केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होने पर ही रही राजनीति पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब पूरा देश जानता है कि ईडी का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल तो नोटबंदी हुआ था। इसके बाद भी लोगों के पास नोट पकड़े जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार का लोगों को गुमराह करने का तरीका है।

राजनीतिक एजेंडे के तहत ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल नोटिस दिए जाने के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और मीडिया के सामने अपनी गिरफतारी की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्रवाई कर रही है। इसी उठापटक के बीच अरविंद केजरीवाल ने तीन दिन गुजरात यात्रा का घोषणा

बनाया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि बीजेपी की योगी सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था चौपट है। राज्य में पुलिस भी अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है।

जगह-जगह चोरी व लूट की घटनाएं घट रही हैं। भाजपा के नेता ही अपराध में लिस पाये जा रहे हैं। आईआईटी बीएचयू में युवती के साथ शर्मनाक हरकत की गई। अपराधी सत्ता से जुड़े हुए लोग थे इसलिए

यूपी
ने कानून
व्यवस्था
ध्यात

उनको पकड़ने में 60 दिन लग गए। उधर सीएम योगी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं पर सब हवा हवाई सांवित हो रहा है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक-दूसरे के धूर विरोधी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धेरने के लिए विपक्षी दलों का इंडिया गढ़बंधन भी बन रहा है। इस गढ़बंधन में बीजेपी के खिलाफ सपा भी शामिल है। लेकिन गुरुवार को एक ऐसी तस्वीर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शेयर की जिसमें वो बीजेपी विधायकों के बीच नजर आ रहे हैं।



मुसलमानों में राम मंदिर का विरोध नहीं : इकबाल अंसारी

» बोले- अयोध्या आस्था की भूमि, सबका साथ-सबका विकास होना चाहिए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अयोध्या। अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्व यादी इकबाल अंसारी ने कहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद खत्म हो गया है और देश में सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि जहां तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जिसके बाद निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे देश के मुसलमानों ने इसका स्वागत किया।

कोई विरोध प्रदर्शन या कुछ भी नहीं हुआ... यह आस्था का मामला है

बड़े बे आबरू होके तेरे कूचे.....

बड़े बे
रुद्रांगी

यूपी जोड़ी यात्रा का लखनऊ में जोरदार स्वागत

» कल शहीद स्मारक पर होगा भव्य कार्यक्रम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सहारनपुर से चल रही यूपी जोड़ी यात्रा 4 जनवरी 2024 को लखनऊ जनपद की सीमा में प्रवेश कर गई, जहां पर कांग्रेस जनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं - आम जनों ने इटोंजा टोल प्लाजा पर यूपी जोड़ी यात्रा का स्वागत किया। यात्रा का पड़ाव बरबारी तालाब में होगा और आज एवं कल लखनऊ जनपद में यात्रा तय मार्ग पूरा कर (6 जनवरी) को शहीद स्मारक लखनऊ पहुंचकर शहीदों को नमन करने के उपरांत राजनीतिक संकल्प के साथ विराम लेगी।



प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने यह जानकारी दी। श्री अवस्थी ने बताया कि लखनऊ में यात्रा का जगह - जगह स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव

अविनाश पांडे, जी शामिल होंगे, यात्रा में चल रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, एआईसीसी मेंबर, पीसीसी मेंबर, कांग्रेस

प्रदेश के 20 जिलों से होकर गुजरेगी भारत जोड़ी न्याय यात्रा

प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भारत न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में यात्रा पर जानकारी देते हुए बताया कि 14 जनवरी 2024 से यात्रा मार्गी के बैतूल में शुरू हो रही भारत जोड़ी न्याय यात्रा, जो मिलिएपुर से मुम्बई तक नियायित है, वह सभी ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में दिन रहेगी और 20 जनपदों से होकर गुजरेगी, अंशु अवस्थी ने बताया कि दोनों में सामाजिक आर्थिक और सामाजिक व्यापार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुती गैर बरबारी के खिलाफ आम आदमी के उन्नीसों के लिए जील का पथ सांवित होगी, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैविक विकास की आवाज बनाकर रहेगी।

पदाधिकारी एवं नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहेंगे।


ममता मोदी की सेवा में लगी हुई है : अधीर एंजन

» बंगाल में सीट बंटवारे पर रार, कहा- हमने भीख नहीं मांगी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता अधीर एंजन चौधरी ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी गढ़बंधन चाहते ही नहीं वह तो नरेंद्र मोदी की सेवा में लगी हुई है।

सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के समक्ष सो सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव



रखा है। इसके बाद से कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी पर हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता अधीर एंजन चौधरी ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी गढ़बंधन चाहते ही नहीं वह तो नरेंद्र मोदी की सेवा में लगी हुई है।

R3M EVENTS

ACTIVATION • EVENTS • EXHIBITION

R3M EVENTS

4/725 Vaibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow
E-mail: rajendra@r3mevents.com, Mob : 095406 11100

किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो खेद व्यक्त करता हूं : आव्हाड

» भगवान राम पर की गई टिप्पणी से पीछे हटे एनसीपी नेता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क



नई दिल्ली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शीर्ष नेताओं के शमिल होने से कुछ छिन्ने दिन पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता जितेंद्र आव्हाड की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में उन्होंने खेद प्रकट किया है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि भगवान राम मांसाहारी थे कांग्रेस के शरद पवार खेमे से आने वाले अवहाद ने बुधवार को महाराष्ट्र के शिरडी में एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की थी।

जितेंद्र आव्हाड ने अपनी टिप्पणी को लेकर गुरुवार को कहा, मैंने जो कल एक वाक्य कहा मेरा मामला है कि पूरा भाषण बेहद सुंदर हुआ, लेकिन उस वाक्य की प्रति जो विवाद से जुड़ा है तो उसे निवेदन किया गया। महंत राम दास ने कहा कि आप कालानी वर्ष के लिए योग्य कठिन वर्ष है। उन्होंने कहा कि मुसलमान नींव रख रहा था कि इस नामले में पृथिवी है जाए, जबकि आप कालानी खुलूंगी राम दास के लिए यह एक बड़ा व्यक्त करता है। एनसीपी नेता ने हा था कि हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम द्वारा जंगलों में बिताए गए वर्षों का जिक्र करते हुए कहा, भगवान राम हम बहुजनों के द्वारा लोकों के बीच अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता। एनसीपी नेता ने हाथ झोंक करते हुए एक बहुजन हैं, वे भगवान राम का उदाहरण देकर सभी को शाकाहारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम शाकाहारी नहीं थे, वह मांसाहारी थे।

दिल्ली और झारखण्ड से बदलेगी सियासत !

सोरेन-केजरीवाल का ईडी के समन को नकाराना पड़ सकता है भारी

- » कई बार नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हुए दोनों राज्यों के सीएम
 - » मोदी सरकार के लिए दोनों हुए घातक
 - » गिरफ्तारी के बाद बदल जाएगी लोस चुनाव की तस्वीर
 - » पूर्वी व उत्तर भारत पर पड़ेगा सियासी असर
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। राजनीति पानी और हवा की तरह होती है। कभी न थमती है न रुकती है। आज कल देश में लोक सभा चुनाव की रंगत सियासी दलों पर ढाँचे लगी है। जहां सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी चनावी तैयार में पूरे जोशों से जुट गई हैं। वहीं विपक्षी भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं।

इसबीच दो राज्य दिल्ली व झारखण्ड में सत्ता पक्ष व बीजेपी की मोदी सरकार में बार-पलटवार का दौर जारी हो गया है। दोनों कहीं राज्यों में ईडी के समन को लकर आजकल रार मची हुई है। बता दें कि शराब घोटाले के मामले में दिल्ली सीएम को केंद्रीय एजेंसी द्वारा तीन बार समन भेजे जा चुके पर तीनों ही बार आप संयोजन ने हाजिर होने से मना कर दिया।

इसपर सियासत भी जारी है। वहीं झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले में सात बार समन ईडी ने भेजा पर हर बार उन्होंने जाने से इंकार किया। अब सियासी गलियारें में सब यही चर्चा कर रहे हैं कि अगर इन दोनों मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो राजनीति पर क्या असर होगा। ज्ञात हो कि शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से तीन बार नोटिस मिला है जबकि जमीन घोटाले से जुड़े मामले में झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन को सात बार ईडी का नोटिस मिल चुका है। इसके बावजूद दोनों मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में क्या दोनों मुख्यमंत्रियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? 2021 में, आप सरकार ने अपनी शराब उत्पाद शुल्क नीति में कई बदलाव पेश किए, जिसमें निजी संस्थाओं को स्टोर संचालन लाइसेंस जारी करने के साथ सरकारी स्वामित्व वाली शराब की दुकानों को बंद करना, शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 से घटाकर 21 वर्ष करना और दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण और बिक्री प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर शराब ब्रांडों के लिए अलग पंजीकरण मानदंड शामिल था।

इसमें वार्षिक शराब बैंडिंग लाइसेंस शुल्क को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव था। दिल्ली सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 849 निजी विक्रेताओं को लाइसेंस देकर शराब के खुदरा कारोबार से भी हाथ खींच लिया। हालांकि, नीति लागू होने के तुरंत बाद, यह विपक्ष द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों से घिर गई थी।



केजरीवाल और सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा-19 के तहत ईडी को अधिकार है कि तीन बार नोटिस के बाद भी अगर कोई पेश नहीं होता है तो एजेंसी उसे गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का इसपर कहना है कि ईडी के नोटिस के बावजूद पूछताछ के लिए आरोपित उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो सिर्फ इस आधार पर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है।

दोनों राज्यों की सतारूढ़ पार्टी का केंद्र पर निशाना

दोनों ही मुख्यमंत्रियों की पार्टी ने केंद्रीय एजेंसी पर इसके दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेताओं द्वारा केंद्र सरकार पर ईडी को इथियार की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल ने इन नोटिसों के जवाब में ईडी को पत्र लिखकर अपनी व्यस्तता

बताई है। ईडी के नोटिस पर हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर उसे गैरकानूनी बताया है और कहा कि नोटिस के जरिए उनकी राजनीतिक छवि खराब की जा रही है। साथ ही राज्य में सरकार को स्थिर करने की कोशिश हो रही है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी के नोटिस पर पत्र लिखकर अपना जवाब भेजा है। केजरीवाल

ने पत्र लिखकर अपनी व्यस्तता बताई है और उनकी पार्टी ने कहा कि ईडी के नोटिस के जरिए उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोका जा रहा है। उनकी पार्टी ने यह भी आरोप लगाई है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश भी रची जा रही है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस को हल्के में क्यों ले रहे हैं, तो

इसका एक जवाब इससे समझा जा सकता है कि हेमंत सोरेन को अब तक सात बार नोटिस मिल चुका है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस हिसाब से केजरीवाल को अब तक सिर्फ तीन बार ही नोटिस मिला है और उनके पास पेशी से बचने के लिए अभी और मौके हैं। हालांकि, ये दोनों मामले अलग-अलग हैं।

सदन में किया जा सकता है गिरफ्तार

धारा 135 ये भी कहती है कि किसी भी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य को विधानसभा सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री और किसी विधानसभा सदस्य को सदन से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहने हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कानून के अनुसार ये गिरफ्तारी किसी भी आरोप में यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों के तहत नहीं की जा सकती। यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उस स्थिति में दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है।

आसान नहीं सीएम को गिरफ्तार करना

सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम पद रहते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा सकती है।

जहां सीएम की गिरफ्तारी की खबर सभी को चौका देती है तो वहीं अमूमन ये सवाल भी मन में पैदा होता है कि इस पद रहते हुए कानून क्या होते होंगे और गिरफ्तारी के नियम क्या होंगे?



प्रोसिजर 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद को गिरफ्तारी में छूट मिलती हुई है। हालांकि ये छूट सिर्फ विधान सभा के मंजूरी लेना अनिवार्य होता है और मंजूरी मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है।

सदस्य पर किसी प्रकार का क्रिमिनल मामला दर्ज हो जाता है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर के तहत उसे छूट नहीं मिलती है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि यही एक नियम लागू होता है और वो ही विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी। लों के अनुसार यदि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाना है तो सबसे पहले सदन के अध्यक्ष की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है और मंजूरी मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है।

दोनों सीएम कई बार कर चुके हैं ईडी के सामने जाने से इंकार

शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आमने-सामने हैं। ईडी ने केजरीवाल को अब तक तीन बार नोटिस भेजने की तैयारी में है। वहीं, झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के चंगल में फंसे हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से अब तक सात बार नोटिस भेजा जा चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही दोनों मामले अलग-अलग हैं, लेकिन ईडी के नोटिस को लेकर हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का रवैया एक समान है। दोनों ही मुख्यमंत्री ईडी के नोटिस को हल्के में ले रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से ईडी को लगभग एक जैसी ही दुहाई दी जा रही है और दोनों ही पेश से बच रहे हैं।

केजरीवाल को कब-कब आया बुलावा

शराब नीति मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक तीन बार नोटिस भेजा है। अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस दो नवंबर, 2023 को मिला था। इसके बाद दूसरा नोटिस 21 दिसंबर, 2023 को भेजा गया और तीसरी बार उन्हें तीन जनवरी, 2024 को नोटिस भेजा गया था। हालांकि, इन नोटिस के बावजूद वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए।

हेमंत सोरेन को कब-कब मिला नोटिस

जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन को अब तक सात बार नोटिस भेजा है, लेकिन वह कभी भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को पहला नोटिस 14 अगस्त, 2023 को दूसरा नोटिस 24 अगस्त, 2023 को, तीसरा नोटिस नौ सितंबर, 2023 को चौथा नोटिस 23 सितंबर, 2023 को पांचवा नोटिस चार अक्टूबर, 2023 को छठा नोटिस 12 दिसंबर, 2023 को और सातवां नोटिस 29 दिसंबर, 2023 को भेजा गया था।

